

वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से  
डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च, 2019-चैत्र 8, शके 1941

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### CHANGE OF NAME

I, MD Aslam Ansari S/o MD Ismail Ansari, R/o GM-19, Deen Dayal Nagar, Gwalior (M.P.) my son's name has been changed from Mohammad Muzammil Zamal to Md Muzammil Jamal Ansari vide affidavit Dated 02-03-2019 before Dist. Court Gwalior.

(1070-B.)

**MD ASLAM ANSARI**

#### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अवयस्क पुत्री कु. अचला देशपाण्डे तथा पुत्र चेतन्य देशपाण्डे के स्कूल चमेली देवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम प्रिया देशपाण्डे (Priya Deshpande) लिखा गया है। जिसे बदलकर मनीषा देशपाण्डे (Manisha Deshpande) कर लिया है। अतः चमेली देवी पब्लिक स्कूल, इन्दौर में माता प्रिया देशपाण्डे (Priya Deshpande) के नाम के स्थान पर मनीषा देशपाण्डे (Manisha Deshpande) पढ़ा जावे। सो विदित होवें।

पुराना नाम :  
( प्रिया देशपाण्डे )

नया नाम :  
( मनीषा देशपाण्डे )  
72, लोकमान्य नगर, आरटीओ रोड,  
इन्दौर ( म.प्र. ).

(1071-बी.)

#### नाम परिवर्तन

मैं, SWATI JHA D/o AZAD KUMAR JHA यह सूचित करती हूँ कि मेरी सभी अंकसूचियों में मेरा नाम SWATI लिखा है। जबकि मेरा नाम SWATI JHA है जो कि मेरे आधारकार्ड एवं बैंक पासबुक आदि में लिखा है। अतः मेरे नाम को SWATI JHA ही पढ़ा एवं समझा जावे।

पुराना नाम :  
( SWATI )

नया नाम :  
( SWATI JHA )

(1072-B.)

Address-H. No. 2549, Telegraph Gate,  
No.3, Behind Science Club, Madan Mahal,  
Wright Town, Jabalpur (M.P.).

### नाम परिवर्तन

मैं, नन्द किशोर साहू NAND KISHOR SAHU आत्मज सुन्दर लाल साहू SUNDAR LAL SAHU, निवासी-म. नं.49, शिवलोक ग्रीन्स फेस-6, खजूरी कलां, भोपाल का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नन्द किशोर NAND KISHOR पिता सुन्दर लाल SUNDAR LAL SAHU दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम नन्द किशोर साहू NAND KISHOR SAHU आत्मज सुन्दर लाल साहू SUNDAR LAL SAHU दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम नन्द किशोर NAND KISHOR आत्मज सुन्दर लाल साहू SUNDAR LAL SAHU दर्ज है उसके स्थान पर नन्द किशोर साहू NAND KISHOR SAHU आत्मज सुन्दर लाल साहू SUNDAR LAL SAHU पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

( नन्द किशोर )

( NAND KISHOR )

(1074-बी.)

नया नाम :

( नन्द किशोर साहू )

( NAND KISHOR SAHU )

### नाम परिवर्तन

मैं, Unnikrishnan Nair S/o Neelakantan Nair R/o D-319, Old Minal, Residency J. K. Road, Bhopal का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम T.N. Unnikrishnan Nair and T.N.U.K. Nair S/o C. K. Neelakandan Nair दर्ज है तथा स्कूल अंकसूचियों में मेरा नाम Unnikrishnan Nair T.N. S/o Neelakantan Nair C.K. दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम T.N. Unnikrishnan Nair and T.N.U.K. Nair S/o C. K. Neelakandan Nair and Unnikrishnan Nair T.N. S/o Neelakantan Nair C.K. दर्ज है। उसके स्थान पर Unnikrishnan Nair S/o Neelakantan Nair पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

( T.N. Unnikrishnan Nair Unnikrishnan Nair T.N. )

(1075-बी.)

नया नाम :

( Unnikrishnan Nair )

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती अंशु एलिस बरवा सोनी (Anshu Alice Barwa Soni) पति रूपेश कुमार सोनी (Rupesh Kumar Soni), निवासी म. नं. 111/112, शुभालय परिसर, होशंगाबाद रोड, राधापुरम के पास, समरधा, भोपाल (म.प्र.) की हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम अंशु एलिस बरवा (Anshu Alice Barwa) एवं अंशु सोनी (Anshu Soni) एवं कुछ दस्तावेजों में श्रीमती अंशु एलिस बरवा सोनी (Anshu Alice Barwa Soni) दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम अंशु एलिस बरवा (Anshu Alice Barwa) एवं अंशु सोनी (Anshu Soni) दर्ज है उसके स्थान पर श्रीमती अंशु एलिस बरवा सोनी (Anshu Alice Barwa Soni) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

( अंशु एलिस बरवा )

( ANSHU ALICE BARWA )

( अंशु सोनी )

( ANSHU SONI )

(1076-बी.)

नया नाम :

( अंशु एलिस बरवा सोनी )

( ANSHU ALICE BARWA SONI )

### नाम परिवर्तन

मैं, धनराज साहू DHANRAJ SAHU आत्मज फूलचन्द साहू FULCHAND SAHU, निवासी-293, बी-2, डी सेक्टर, पिपलानी भेल, भोपाल का हूँ मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम धनराज DHANRAJ आत्मज फूलचन्द FULCHAND दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम धनराज साहू DHANRAJ SAHU आत्मज फूलचन्द साहू FULCHAND SAHU दर्ज है। जिन दस्तावेजों में मेरा नाम धनराज DHANRAJ आत्मज फूलचन्द FULCHAND दर्ज है। उसके स्थान पर धनराज साहू DHANRAJ SAHU आत्मज फूलचन्द साहू FULCHAND SAHU पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

( धनराज )

( DHANRAJ )

(1077-बी.)

नया नाम :

( धनराज साहू )

( DHANRAJ SAHU )

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र ऋषि गोयल के शैक्षणिक दस्तावेजों में से दसवीं की अंकसूची में ऋषि गोयल पुत्र श्री सुभाष गोयल (Rishi Goyal S/o Subhash Goyal) एवं बारहवीं की अंकसूची में ऋषि गोयल पुत्र सुभाष चन्द्र गोयल (Rishi Goyal S/o Subhash Chandra Goyal) अंकित हैं। जबकि मेरा वास्तविक व सही नाम सुभाष चन्द्र अग्रवाल (Subhash Chand Agrawal) जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में दर्ज है। अतः भविष्य में मुझे सुभाष चन्द्र अग्रवाल (Subhash Chand Agrawal) के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(सुभाष गोयल/सुभाष चन्द्र गोयल)

(1078-बी.)

नया नाम :

(सुभाष चन्द्र अग्रवाल)

पुत्र-स्व. श्री रामजीदास अग्रवाल,  
पता-चिक्कसंतर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है मैं, रघुवंश कुमार सिंह पुत्र श्री फूल कुमार सिंह, निवासी-डीबी सिटी के पास ई-एस. पी. ई. ओ. डब्ल्यू. निवास सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मेरे पुराने पासपोर्ट में मेरा नाम रघुवंश सिंह भदौरिया RAGHUVANSH SINGH BHADAURIA अंकित है, जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों मेरा सही नाम रघुवंश कुमार सिंह RAGHUVANSH KUMAR SINGH अंकित है।

अतः अब मुझे भविष्य में रघुवंश कुमार सिंह RAGHUVANSH KUMAR SINGH के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(रघुवंश सिंह भदौरिया)

पुत्र-श्री फूल कुमार सिंह भदौरिया,

(1079-बी.)

नया नाम :

(रघुवंश कुमार सिंह)

पुत्र-श्री फूल कुमार सिंह।

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने स्वयं के नाम से एक जीवन बीमा पॉलिसी क्र. 20668754 कराई गई थी। जिसमें मुझ शपथकर्ता का घरेलू बोलचाल का नाम नितिन जैन पुत्र श्री दिलीप कुमार जैन अंकित हो गया है। जबकि मेरा सही नाम जितिन जैन पुत्र श्री दिलीप कुमार जैन है। यही नाम मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता आदि में अंकित है। नितिन जैन एवं जितिन जैन दोनों ही नाम मेरे हैं और मैं भविष्य में जितिन जैन के नाम से ही पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

(नितिन जैन)

(1080-बी.)

नया नाम :

(जितिन जैन)

पुत्र-श्री दिलीप कुमार जैन,  
निवासी-न्यू चन्द्रनगर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने स्वयं के नाम से एक जीवन बीमा पॉलिसी क्र. 20668659 कराई गई थी। जिसमें मुझ शपथकर्ता का घरेलू बोलचाल का नाम सौरभ जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन अंकित हो गया है। जबकि मेरा सही नाम राहुल जैन पुत्र श्री अजीत कुमार जैन है। यही नाम मेरे सभी दस्तावेजों में जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता आदि में अंकित है। सौरभ जैन एवं राहुल जैन दोनों ही नाम मेरे हैं और मैं भविष्य में राहुल जैन के नाम से ही पहचाना जाऊंगा।

पुराना नाम :

(सौरभ जैन)

(1081-बी.)

नया नाम :

(राहुल जैन)

पुत्र-श्री अजीत कुमार जैन,  
निवासी-न्यू चन्द्रनगर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, बादाम सिंह कुशवाह पिता का नाम श्री गजराज सिंह कुशवाह, निवासी गिरवाई पहाड़िया, मुर्गी केन्द्र के पीछे, पोस्ट अजयपुर, लश्कर, ग्वालियर मध्यप्रदेश यह कि मुझ शपथकर्ता को एक एल. आई. सी. पॉलिसी क्रमांक 202250438 में मेरा नाम बादाम सिंह कुशवाह उर्फ कल्लू अंकित है तथा मेरे बैंक खाता में मेरा नाम बादाम सिंह अंकित है। इस प्रकार से

उपरोक्त वर्णित दोनों नाम बादाम सिंह कुशवाह उर्फ कल्लू एवं बादाम सिंह कुशवाह मेरे ही नाम हैं तथा मेरे पिता का नाम पॉलिसी में गदर सिंह कुशवाह अंकित है तथा अन्य दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम गजराज सिंह कुशवाह अंकित है तथा कुछ दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम गजराज कुशवाह अंकित है तथा उक्त तीनों नाम मुझ शपथकर्ता के पिता के ही नाम हैं।

पुराना नाम :

( बादाम सिंह कुशवाह उर्फ कल्लू )

पिता-श्री गदर सिंह कुशवाह.

(1082-बी.)

नया नाम :

( बादाम सिंह कुशवाह )

पिता-गजराज सिंह कुशवाह.

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संजय कुमार नरवरिया पिता श्री सत्यनारायण नरवरिया, मेरी जाति खटीक एवं उपजाति नरवरिया है। अतः मैं वर्तमान में वकालत (विधि व्यवसाय) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में करता हूँ। यह कि मेरे पूर्व के शैक्षणिक दस्तावेज, सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों एवं कायों में मेरा नाम संजय कुमार खटीक पिता श्री सत्य नारायण खटीक अंकित है। परन्तु अब मैं अपना नाम संजय कुमार “नरवरिया” पिता श्री सत्यनारायण नरवरिया को दर्ज करवाते हुये भविष्य में इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाऊँ।

पुराना नाम :

( संजय कुमार खटीक )

पिता-श्री सत्यनारायण खटीक.

(1083-बी.)

नया नाम :

( संजय कुमार नरवरिया )

पिता-श्री सत्यनारायण नरवरिया.

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम खुशी गुप्ता पुत्री श्री प्रवीण कुमार गुप्ता था, लेकिन मैंने अपना नाम बदलकर रोशनी छिरोलिया पुत्री श्री प्रवीण कुमार छिरोलिया कर लिया है। यही नाम मेरे आधार कार्ड व स्कूल की अंकसूची आदि दस्तावेजों में अंकित है। अब मुझे मेरे सही नाम रोशनी छिरोलिया पुत्री श्री प्रवीण कुमार छिरोलिया के नाम से ही जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( खुशी गुप्ता )

पुत्री-श्री प्रवीण कुमार गुप्ता.

(1084-बी.)

नया नाम :

( रोशनी छिरोलिया )

पुत्री-श्री प्रवीण कुमार छिरोलिया,

निवासी-सुभाषगंज मेन रोड,

डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश वाधवा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम प्रकाश खेमानी जो कि मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में अंकित है तथा वर्तमान में मैं, प्रकाश वाधवा के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, इसी नाम प्रकाश वाधवा के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाऊँगा एवं हस्ताक्षर करता रहूँगा, प्रकाश खेमानी एवं प्रकाश वाधवा एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मेरे सभी शैक्षणिक, शासकीय, अर्द्धशासकीय, प्रपत्रों में मेरा नाम प्रकाश खेमानी के स्थान पर प्रकाश वाधवा अंकित किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

( प्रकाश खेमानी )

(1085-बी.)

नया नाम :

( प्रकाश वाधवा )

सावित्री भवन जंबुर खाना,

लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

यह कि मुझ शपथकर्ता के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम SUMIT SIKKA अंकित है। मैं, शपथकर्ता अपना नाम परिवर्तित कर SAMIT SIKKA अंकित करवाना चाहता हूँ। कृपया भविष्य में मुझे इसी नये नाम से जाना व पहचाना जावे। शेष यथावत रहेगा।

पुराना नाम :

( SUMIT SIKKA )

(1086-बी.)

नया नाम :

( SAMIT SIKKA )

शुभम् कॉम्प्लेक्स एफ-1,

नौगंजा रोड, शिंदे की छावनी,

ग्वालियर (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पहले मेरा नाम परवेश बेग मिर्जा (PARVESH BAIG MIRZA) अंकित है। जबकि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बोटर कार्ड, रशन कार्ड आदि में मेरा सही नाम परवेज बेग मिर्जा (PERVAIZ BAIG MIRZA) पुत्र स्व. श्री रहीम बेग मिर्जा (RAHIM BAIG MIRZA) अंकित है जो सही है। परवेश बेग मिर्जा (PARVESH BAIG MIRZA) मेरा नाम गलत अंकित हो गया था। अब मेरी मार्कशीट आदि में परवेश बेग मिर्जा (PARVESH BAIG MIRZA) के स्थान पर परवेज बेग मिर्जा (PERVAIZ BAIG MIRZA) पुत्र स्व. श्री रहीम बेग मिर्जा (RAHIM BAIG MIRZA) पढ़ा जावे। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम परवेज बेग मिर्जा (PERVAIZ BAIG MIRZA) से ही जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

**( PARVESH BAIG MIRZA )**

नया नाम :

**( PERVAIZ BAIG MIRZA )**

पता-परवेज बेग मिर्जा पुत्र स्व. श्री रहीम बेग मिर्जा,  
तानसेन टांकिज के पास, छोटा बाजार,  
घासमण्डी, ग्वालियर-3 (म.प्र.).

(1087-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे पुत्र का नाम अभ्युदय गुप्ता पुत्र निखलेश कुमार गुप्ता था, अब मेरा तलाक व पुनर्विवाह हो जाने के पश्चात् हमने हमारे पुत्र का नाम अभ्युदय गुप्ता से बदलकर अभ्युदय सिन्हा पुत्र श्री माधव सिन्हा कर लिया है। अतः उसे अब उसके समस्त दस्तावेजों में हमारे नये उपनाम अभ्युदय सिन्हा पुत्र श्री माधव सिन्हा से ही लिखा व पढ़ा जावे।

नीलम गुप्ता सिन्हा,

पत्नी श्री माधव सिन्हा,

म. नं. 07, समृद्धि परिसर, ललिता नगर,  
कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).

(1088-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं अपनी दोनों पुत्रियों 1. अंजली सिंह व 2. अस्मिता सिंह का नाम मेरे दस्तावेजों में दर्ज करवाना चाहती हूँ, जिसमें मेरी पुत्री अंजली सिंह का सही विवरण इस प्रकार है- नाम अंजली सिंह पिता संजय सिंह एवं जन्म दिनांक 15-07-1995 व जन्म स्थान ग्राम मलियागुड़ा, बिरसिंहपुर है, किन्तु बचपन में उसका नाम आयशा रियाज भी था, जिसे हमने सभी दस्तावेजों (मार्कशीट व आधार कार्ड) में सुधार करके अंजली सिंह ही करवा लिया था, किन्तु मेरे सर्विस रिकॉर्ड में भी उसका सम्पूर्ण विवरण सही ही लिखा पढ़ा जावे। आयशा रियाज व अंजली सिंह मेरी एक ही पुत्री के दो नाम हैं, और मेरी (अंजली व अस्मिता) दो ही पुत्रियां हैं।

अनीता सिंह,

(माता)

पत्नी-श्री संजय सिंह,  
म.प्र.वि.म. कॉलोनी, बिरसिंहपुर,  
जिला-उमरिया (म.प्र.).

(1089-बी.)

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती दीपशिखा केरकेट्टा ( Deepshikha Kerketta ) विवाह के पूर्व मेरा नाम कुमारी दीपशिखा बेक था, विवाह के पश्चात् अब मुझे श्रीमती दीपशिखा केरकेट्टा ( Deepshikha Kerketta ) पत्नी श्री अमित राज केरकेट्टा, निवासी-105/9-ए, सागर पब्लिक स्कूल के पीछे, भोपाल (म.प्र.) के नाम से जानी व पहचानी जावे।

पुराना नाम :

**( कुमारी दीपशिखा बेक )**

पुत्री श्री सेवरिन बेक।

नया नाम :

**( दीपशिखा केरकेट्टा )**

पत्नी श्री अमित राज केरकेट्टा।

(1090-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा सही नाम संजना रघुवंशी, जन्म दिनांक 12-08-1980, पिता का नाम हरि सिंह है. किन्तु मेरे पिताजी के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा घर का प्रचलित नाम संजु लिखा गया है. जो कि गलत है. अतः मेरे पिता के सर्विस रिकॉर्ड में मेरा सही नाम संजना रघुवंशी लिखा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

( संजु )

पिता हरि सिंह.

(1091-बी.)

नया नाम :

( संजना रघुवंशी )

पिता हरि सिंह,

निवासी-141-ए, शांति नगर, महारांग महू,

जिला इन्दौर (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, संगीता हासवानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा शादी पूर्व में नाम संगीता देवी मोहनानी था, जबकि मैं वर्तमान में संगीता हासवानी के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा संगीता देवी मोहनानी एवं संगीता हासवानी एक ही व्यक्ति के नाम हैं. तथा भविष्य में भी मैं संगीता हासवानी के नाम से हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों एवं आधार कार्ड इत्यादि में मेरा नाम संगीता देवी मोहनानी के स्थान पर संगीता हासवानी किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( संगीता देवी मोहनानी )

(1096-बी.)

नया नाम :

( संगीता हासवानी )

पता-समदिया सिटी, माधवनगर,

कटनी (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

मैं, मोहनलाल बजाज सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व में नाम मोहनलाल खानवानी था तथा जबकि मैं वर्तमान में मोहनलाल बजाज के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा मोहनलाल खानवानी एवं मोहनलाल बजाज एक ही व्यक्ति के नाम है तथा भविष्य में भी मैं मोहनलाल बजाज के नाम से हस्ताक्षर करता रहूँगा. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण पत्रों एवं आधार कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में मेरा नाम मोहनलाल खानवानी के स्थान पर मोहनलाल बजाज किया जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( मोहनलाल खानवानी )

(1097-बी.)

नया नाम :

( मोहनलाल बजाज )

पता-हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी,

नेहरू वार्ड, कटनी (म.प्र.).

### उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण हेतु सूचित हो कि मैं पूजा चतुर्वेदी पत्नी श्री विकास चतुर्वेदी घोषणा करती हूँ कि विवाह पूर्व मेरा नाम पूजा शर्मा आ. श्री रामसुजान शर्मा जो विवाह पश्चात परिवर्तित होकर पूजा चतुर्वेदी पत्नी श्री विकास चतुर्वेदी हो गया है जो सही एवं सत्य है एवं मेरे समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों सहित अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम पूजा शर्मा के स्थान पर पूजा चतुर्वेदी अंकित किया जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

( पूजा शर्मा )

( POOJA SHARMA )

आ. श्री रामसुजान शर्मा,

एम.8/2, चितौढ़ काम्प्लेक्स जोन-1,

एम.पी.नगर, भोपाल.

(1098-बी.)

नया नाम :

( पूजा चतुर्वेदी )

( POOJA CHATURVEDI )

पत्नी-श्री विकास चतुर्वेदी,

म.नं. सी-17, शुभालय पर्ल, होशंगाबाद रोड,

ग्राम-बागमुगलिया, तह. हुजूर,

जिला- भोपाल (म.प्र.).

### नाम परिवर्तन

मैं, सुबोध कुमार जैन सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र अनुबोध जैन के स्कूल रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सुबोध जैन दर्ज है जबकि मेरा वैधानिक नाम सुबोध कुमार जैन जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। अतः भविष्य में भी सुबोध कुमार जैन को सही माना, पढ़ा, लिखा जावे।

पुराना नाम :  
(सुबोध जैन)

नया नाम :  
(सुबोध कुमार जैन)

पिता-शीलचंद जैन,  
पता-HIG-8, श्री परिसर, शाहीनाका रोड, गढ़ा,  
जबलपुर (म.प्र.). 482003.

(1099-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी सर्विस रिकार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामलाल आर्य अंकित है मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में रामलाल/रामलाल चमार (अहिरवार) / रामलाल अहिरवार आधार कार्ड, पेन कार्ड, अंकसूची में दर्ज है। उक्त नाम एक ही व्यक्ति रामलाल अहिरवार के ही हैं। अतः भविष्य में मुझे रामलाल अहिरवार के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :  
(रामलाल आर्य)

नया नाम :  
(रामलाल अहिरवार)

श्री लटोरीप्रसाद अहिरवार,  
पुलिस थाना देवरी, झुनकु वार्ड देवरी,  
जिला सागर (म.प्र.).

(1100-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा वास्तविक व सही नाम मोहम्मद नुरुल हक्क जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग MOHAMMAD NURUL HAK है व इसी नाम से जाना व पहचाना व सम्बोधित किया जाता हूँ। मेरा यही नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मुझे मोहम्मद नुरुल हक्क जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग MOHAMMAD NURUL HAQ है व नुरुल हक्क मोहम्मद NURUL HAK MOHAMMAD के नाम से भी जाना जाता है। मेरा वास्तविक व सही नाम मोहम्मद नुरुल हक्क जिसकी अंग्रेजी में स्पेलिंग MOHAMMAD NURUL HAK है।

पुराना नाम :  
(मोहम्मद नुरुल हक्क / नुरुल हक्क मोहम्मद)  
(MOHAMMAD NURUL HAQ/  
NURUL HAK MOHAMMAD)

नया नाम :  
(मोहम्मद नुरुल हक्क)  
(MOHAMMAD NURUL HAK)

(1101-बी.)

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नीतू चौहान पुत्री श्री अजीत सिंह चौहान (NEETU CHAUHAN D/o SHRI AJEET SINGH CHAUHAN) (पुराना नाम) के स्थान पर अपना नया परिवर्तित नाम अनविका सिंह चौहान पुत्री श्री अजीत सिंह चौहान (ANVIKA SINGH CHAUHAN) समस्त शिक्षा संबंधी दस्तावेजों एवं आधार कार्ड, पेन कार्ड तथा वोटर कार्ड में उक्त नाम को दर्ज कराना चाहती हूँ तथा भविष्य में भी मुझे नये परिवर्तित नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :  
(नीतू चौहान)  
पुत्री श्री अजीत सिंह चौहान।

नया नाम :  
(अनविका सिंह चौहान)  
(ANVIKA SINGH CHAUHAN)  
पुत्री श्री अजीत सिंह चौहान,  
पता-क्वार्टर नं. 10, लाईन नं.13, बिरला नगर,  
हजीरा, ग्वालियर।

(1104-बी.)

## CHANGE IN NAME

I, Shashi Sharma Daughter of Shri P. R. Sharma, Residing at Shambhu Talkies Road, Sushil Kumar Sharma & Co. Sawarkar Ward No. 11, Murwara, Katni 483501 (M.P). Have Changed My Name From Shashikala Sharma to Shashi Sharma By An Affidavit Sworn Before The Notary Public District Katni Madhya Pradesh Henceforth. I Shall Be Known As Shashi Sharma For All The Purposes.

Old Name :

( SHASHIKALA SHARMA )

(1073-बी.)

New Name :

( SHASHI SHARMA )

### आम सूचना

मैसर्स गोपीनाथ लालबिहारी, सतना पार्टनरशिप फर्म 01-02-2014 में बनी जिसमें चार पार्टनर श्री नवल किशोर मेहरोत्रा, श्री विपिन कुमार मेहरोत्रा, श्री विश्वनाथ नेमा, श्री राहुल नेमा थे, फर्म का पंजीयन नंबर 05/26/01/00002/14, दिनांक 04-04-2014 है। अतः दिनांक 28-04-2018 को नवल किशोर मेहरोत्रा जी का देहांत हो गया व विपिन कुमार मेहरोत्रा 28-04-2018 को ही रिटायर हो गए। अतः अब इस फर्म में दो पार्टनर शेष बचे हैं जो कि श्री विश्वनाथ नेमा व राहुल नेमा मैसर्स गोपीनाथ लालबिहारी फर्म में पार्टनर हैं।

मैसर्स गोपीनाथ लालबिहारी,

विश्वनाथ नेमा,

( भागीदार )

सतना ( म.प्र. ).

(1068-बी.)

### आम सूचना

( भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के अधीन )

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स फाइन वेंचर एंड इंफ्रा कंपनी, भोपाल मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्र. 01/01/01/0226/17, सन 2017-18, दिनांक 30-08-2017, को किया गया था। जिसमें चार भागीदार थे। भागीदारी फर्म मैसर्स फाइन वेंचर एंड इंफ्रा कंपनी, भोपाल से श्री अब्दुल शफी खान पुत्र कुर्बान खान एवं श्री मोहम्मद ज़ीशान खान पुत्र अब्दुल शफी खान, दिनांक 10-01-2019 से पृथक् हो रहे हैं। और अब फर्म में दो साझेदार मोहम्मद शिबली खान पुत्र मोहम्मद बक्श खान एवं सईद सोहेत हुसैन पुत्र मक्कबूल हुसैन भागीदारी फर्म मैसर्स फाइन वेंचर एंड इंफ्रा कंपनी, भोपाल में बने रहेंगे, चालू रहेंगे।

मैसर्स फाइन वेंचर एंड इंफ्रा कंपनी,

मोहम्मद शिबली खान,

( पार्टनर ).

(1092-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पदम कंस्ट्रक्शन्स सिवनी रोड, छिंदवाड़ा में मैं, भागीदार वीरेन्द्र कुमार सतीजा आत्मज श्री हंसराज सतीजा दिनांक 01-04-2011 से फर्म की भागीदारी से अलग हो गया हूँ। अतः दिनांक 01-04-2011 के पश्चात भागीदारी फर्म में मेरी किसी भी लेन अथवा देन की कोई जवाबदारी नहीं रही है एवं मुझे अब इस फर्म में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहा है एवं उक्त फर्म का पुनः गठन भागीदार श्री महेन्द्र कुमार पाटोदी, श्री विजय कुमार जुनेजा, श्री विजय कुमार जैन, श्रीमती रविकांता जैन, श्री विनम्र जैन एवं श्रीमती ममता जैन के द्वारा दिनांक 01-04-2011 से कर लिया गया है। अतः पुनः गठित फर्म मैसर्स पदम कंस्ट्रक्शन्स के सभी प्रकार के व्यवहारों के लिये ये ही भागीदार अधिकारी एवं उत्तरदायी होंगे तदनुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मैसर्स पदम कंस्ट्रक्शन्स ,

विजय कुमार जैन,

( वर्तमान भागीदार )

वीरेन्द्र कुमार सतीजा,

( पूर्व भागीदार ).

(1093-बी.)

### जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पदमश्री डेवलपर्स, रज. क्र. 04/17/01/00083/14, सन 2014-15, शांति कुंज, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा, तहसील एवं जिला छिंदवाड़ा में, मैं भागीदार श्रीमती लता पत्नी श्री नरेश कुमार गोयल, मकान नं. 118, वार्ड नं. 12, सिविल लाईस, सौसर, तहसील सौसर, जिला छिंदवाड़ा दिनांक 20-02-2019 को फर्म की भागीदारी से अलग हो गयी हूँ।

अतः दिनांक 20-02-2019 के पश्चात भागीदारी फर्म में मेरी किसी भी लेन अथवा देन की कोई जवाबदारी नहीं रही है एवं मुझे अब इस फर्म में किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं रहा है एवं उक्त फर्म का पुर्णगठन भागीदार श्री राजेन्द्र पाटोदी, श्रीमती निधि जैन, श्री चेतन चड्डा, श्रीमती ललितारानी जुनेजा एवं श्री सनी चड्डा के द्वारा दिनांक 21-02-2019 से कर लिया गया है अतः पुर्णगठित फर्म मेसर्स पदमश्री डेवलपर्स के सभी प्रकार के व्यवहारों के लिये ये ही भागीदार अधिकारी एवं उत्तरदायी होंगे। तदनुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है।

मैसर्स पदमश्री डेवलपर्स ,  
लता गोयल,  
(पूर्व भागीदार).

(1094-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स मनोहर लाल एण्ड सन्स जिसका पंजीयन क्रमांक-128/8, दिनांक 15-09-2008 है जो हनुमान कॉलोनी वार्ड नं. 13, सूरजगंज इटारसी, जिला होशंगाबाद में स्थित है जिसमें दिनांक 13-05-2017 को भागीदार श्री प्रदीप कुमार मालवीय की मृत्यु हो जाने के कारण फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं दिनांक 14-05-2017 से श्रीमती रेखा मालवीय पत्नी स्व. श्री प्रदीप कुमार मालवीय के लीगल हायर होने के कारण फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गई हैं सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

मैसर्स मनोहर लाल एण्ड सन्स,  
प्रमोद मालवीय,  
( भागीदार)

(1095-बी.)

सूरजगंज इटारसी, जिला होशंगाबाद.

### आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स श्री कृष्ण महावीर कृपा डेवलपर्स कटंगी में सहभागीदार श्री अमित कुमार साहू आत्मज स्व. श्री रेवा प्रसाद साहू का निधन 13-01-2019 को हो जाने के पश्चात उनके स्थान पर श्री अमिताप साहू आत्मज स्व. श्री रेवा प्रसाद साहू को दिनांक 14-01-2019 से फर्म में भागीदार बनाया गया है।

फर्म-मैसर्स श्री कृष्ण महावीर कृपा डेवलपर्स,  
विवेक कुमार सोनी,  
( भागीदार)  
कटंगी (म.प्र.).

(1102-बी.)

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरसर्स नर्मदा एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज पता-म.नं. 194, पुष्कर नगर, अधारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश पंजीयन क्र. 04/14/01/0123/17, दिनांक 31-08-2017 है। दिनांक 01-01-2016 को फर्म का निर्माण हुआ जिसमें श्रीमती ज्योती गौतम श्रीमती पूजा यादव भागीदार हैं। दिनांक 06-07-2017 को श्री प्रियांशु मिश्रा तथा सुमेध येवलकर इस फर्म में नये भागीदार के रूप में शामिल हुए हैं। दिनांक 01-02-2019 को श्री रवि पटेल नये भागीदार के रूप में शामिल हुये हैं तथा इसी दिन श्रीमती पूजा यादव अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से पृथक् हो रही हैं। दिनांक 01-02-2019 से फर्म का नया कार्यालय 616, अग्रवाल कॉलोनी, कमला नेहरू नगर वार्ड, स्नेह नगर, जबलपुर मध्यप्रदेश हो गया है।

फर्म-मैसर्स नर्मदा एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज,  
ज्योति गौतम,  
( भागीदार)

(1103-बी.)

पता- 616, अग्रवाल कॉलोनी, कमला नेहरू नगर वार्ड  
स्नेह नगर, जबलपुर (म.प्र.).

## विविध

### न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जूनी, इन्दौर

( फार्म-चार )

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक जज्बा चेरीटेबल ट्रस्ट 85, सियांगंज इन्दौर, अध्यक्ष जोएब अली पिता अब्बास अली, निवासी-बी-17, हेदर टाउनशिप

बीजलपुर, इन्दौर द्वारा धार्मिक एवं सामाजिक ट्रस्ट मरीमाता चौराहा, इन्दौर का मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम धारा-4 अधीन न्यास ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र, ट्रस्ट डीड की प्रति एवं निर्धारित शुक्ल रूपये 05/- का चालान क्रमांक 08, दिनांक 19 फरवरी, 2018 न्यास के गठन हेतु प्रदान किये गये हैं।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

### परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“जज्बा चेरीटेबल ट्रस्ट”.
पता	:	85, सियागंज इन्दौर.
चल संपत्ति	:	5,000/-रुपये.
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 12 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

शाश्वत शर्मा,  
पंजीयक।

(195)

### न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक, लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2018-19.

[नियम पाँच-(1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि आवेदक सनातन समृद्धि सेवा न्यास ट्रस्ट डाकबाडी, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा श्री जितेन्द्र पिता बालचंद सपकाले, निवासी हनुमान व्यायाम शाला के पास डाकबाडी, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 20 फरवरी, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जावेगा।

### अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. वर्किंग ट्रस्टी एवं सचिव अध्यक्ष	:	श्री जितेन्द्र पिता बालचंद सपकाले, निवासी हनुमान व्यायाम शाला के पास डाकबाडी, जिला बुरहानपुर।
2. चल संपत्ति	:	500/-
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक

जारी दिनांक 22 फरवरी, 2019

(196)

प्रगति वर्मा,  
पंजीयक।

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा

प्र. क्र. 01/बी-113(1)/2017-18.

### फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा 5(2) एवं मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट रूल्स 1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत]  
समक्ष : पंजीयक, लोक न्यास, बड़वाहा.

चूंकि प्रार्थी श्री ब्रजराजसिंह पिता ठा. रामसिंह पेंवार, निवासी राम मंदिर के पास बैडिया, तहसील सनावद एवं अन्य की ओर से “श्री बा साहेब गुलाब कुँवर स्मृति ट्रस्ट” ग्राम बैडिया, तहसील सनावद, जिला खरगोन में ट्रस्ट पंजीयन हेतु पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 (क्रमांक 30-1951) की धारा-4 के अंतर्गत निम्न अनुसूची में दर्शित चल/अचल सम्पत्ति हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर इस न्यायालय में विचार किया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सलाह प्रस्तुत करना चाहता हो, वह इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के अन्दर दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा अपने वैध प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करे तथा उपस्थित रहे। निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अ.क्र.	नाम वस्तु	विवरण	वजन तथा नग	राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.	नगद	-	-	5,00,000.00
2.	अचल सम्पत्ति	-	-	-

(207)

सत्येन्द्र सिंह,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

## न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट मैहर, जिला सतना

प्र. क्र. 01/बी-113/2018-19.

दिनांक 18 मार्च, 2019

(देखें नियम)

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1991 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-6(1) के तहत]

चूंकि पूर्व प्रकरण क्रमांक-1बी 113/2015-16 आवेदक स्वामी श्री बममहादेव दास प्रधान शिष्य गुरुपुत्र श्री नीलकण्ठ (नारायण दास) जी महाराज के आवेदन पर माननीय रजिस्ट्रार महोदय द्वारा ट्रस्ट अधिनियम अंतर्गत विहित प्रारूप क्रमांक-3 के नियम-4(2) के तहत् आवेदन-पत्र मय संविधान एवं नियमावली एवं ट्रस्ट की सम्पत्ति के संबंध में दस्तावेजों का अवलोकन व प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् दिनांक 04 जून, 2016 को उक्त न्यास अनंत श्री विभूषित परमहंस स्वामी श्री नीलकण्ठ (नारायण दास) महाराज आध्यात्मिक एवं जनकल्याणकारी लोक न्यास श्री नीलकण्ठ आश्रम, गोविन्द बाग आईला, तहसील मैहर, जिला सतना मध्यप्रदेश का पंजीयन का आदेश दिनांक 04 जून, 2016 को किया जो पंजीयन रजिस्टर क्रमांक-04/2016 इन्द्राज किया गया था, उक्त न्यास की कार्यकारिणी पदाधिकारी सदस्यों की बैठक दिनांक 09 मार्च, 2019 को न्यासकर्ता/मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष के प्रस्ताव क्रमांक-1 पर सर्वसम्मति से उक्त न्यास में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं जो कि मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-9(2) के अंतर्गत अनुसूची में पूर्व की मूल लोक न्यास के रजिस्टर में वांछित संशोधन प्रतिस्थापित किए गए हैं, जिसका आवेदन, आवेदक द्वारा विहित प्रारूप में संविधान व नियमावली सहित पेश किया गया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त न्यास के संशोधन आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक..... को विचार में लिया गया है, कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक सप्ताह के अंदर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

### अनुसूची

- |                  |   |  |
|------------------|---|--|
| लोक न्यास का नाम | : | “स्वामी श्री नीलकण्ठ (नारायण दास) लोक न्यास”.                        |
|                  |   | श्री नीलकण्ठ आश्रम गोविन्द बाग आईला, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.). |
| पता              | : | श्री नीलकण्ठ आश्रम गोविन्द बाग आईला, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.). |

**अ-**उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की उद्देश्य कंडिका क्रमांक-11 में निम्न संशोधन प्रतिस्थापित किये गए हैं। शेष मूल उद्देश्य की कंडिकाएं 1 से लेकर 6 तक यथावत् हैं:-

7. संस्था द्वारा समाज के असहाय, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों आदिवासियों, अनाथों के लिए आर्थिक, समाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु शासन से सम्बद्ध पोषित कार्यक्रम का संचालन करना।
8. आधुनिक शिक्षा के उत्तोतर विकास के लिए प्रौढ़ सर्वशिक्षा, पुस्तकालक, छात्रावास, अनुसूचित जाति-जनजाति विद्यालय, मूक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन तथा गरीब, असहाय, विकलांग, छात्र एवं छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना।
9. संस्था के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों को चहमूखी विकास हेतु महिला स्वयं सहायता मंडल, महिला सशक्तिकरण, बालबाड़ी, स्वयं सहायता समूह एवं शासन द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में मदद करना एवं संचालन करना।
10. शिक्षा के विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापन एवं संचालन करना।
11. संस्था द्वारा महिला श्रमिक, बाल श्रमिक एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन एवं पुर्नवास करना होगा। संस्था द्वारा असहाय महिला एवं पुरुषों के आर्थिक विकास हेतु लघुउद्योग, कुटीर उद्योग, गृहउद्योग, खादीग्रामोदयोग, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, फल एवं खाद्य प्रसंशकरण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलंबन में मदद करना।
12. संस्था द्वारा समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा, उपलब्ध कराना, परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, टीकाकरण शिविर आदि का संचालन करना। असाध्य रोग जैसे किं-एड्स, कैंसर, टीवी, हेपेटाईटिस आदि के बचाव के लिए सलाह देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस सेवा, चलित चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा संस्था द्वारा विभिन्न चिकित्सा पद्धति का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण देना।
13. संस्था द्वारा पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना, लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय तथा यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना, सौर ऊर्जा एवं ऊर्जा के और अपारम्परिक स्रोत का संचालन एवं प्रचार-प्रसार करना।
14. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायतीराज, वयस्क मताधिकार, सूचना का अधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना।

**ब-**उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “साधारण न्यासियों” कंडिका क्रमांक-12 में निम्न संशोधन किए गए हैं:-

1. उक्त लोक न्यास की सूचना पंजी एवं कई बैठकों में साधारण न्यासी लगातार उपस्थित नहीं होते न ही न्यास के मूल उद्देश्य के लिए अपना समय दे पा रहे हैं इस कारण न्यास कार्यकारिणी पदाधिकारियों द्वारा सर्वसम्मति से साधारण न्यासियों का नाम उक्त न्यास से पृथक् किया जा रहा है।

**स-**उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की कार्यकारिणी सदस्य/पदाधिकारी की कंडिका क्रमांक-13 में निम्न संशोधन किए गए हैं जो नवीन कार्यकारिणी एवं पदाधिकारी सदस्यों की सूची है-

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. स्वामी श्री बम महादेव दास जी | - न्यास के संस्थापक/न्यासकर्ता/अध्यक्ष |
| 2. श्री पुष्पराज सिंह           | - सचिव/न्यास प्रतिनिधि                 |
| 3. श्री अमित कुमार              | - कोषाध्यक्ष न्यास                     |
| 4. श्री पुष्पेन्द्र सिंह परिहार | - सदस्य न्यास                          |
| 5. श्री रघुमुनि महाराज          | - उपाध्यक्ष                            |
| 6. श्रीकांत चतुर्वेदी           | - सहसचिव न्यास                         |
| 7. श्री सचीन्द्र सिंह बघेल      | - सदस्य न्यास                          |
| 8. श्री महंत अग्रदास            | - सदस्य न्यास                          |
| 9. श्री महंत दुर्गादास          | - सदस्य न्यास                          |

- द. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “न्यासी की नियुक्ति हेतु योग्यताएं” की कंडिका क्रमांक-15 की उपर्युक्ति 6 में न्यासी सदस्य की वयस्कता आयु 25 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की गई है।
- य. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “न्यासी की नियुक्ति की प्रक्रिया” की कंडिका क्रमांक-17 की उपर्युक्ति 6 न्यास के पदाधिकारियों/कार्यकारिणी सदस्यों का निर्वाचन का कार्यकाल 03 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किया गया है।
- र. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “न्यासियों की सभा” की कंडिका क्रमांक-20 को विलुप्त किया गया है।
- ल. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “कार्यकारिणी का कार्यकाल ” की कंडिका क्रमांक-23 में कार्यकाल 03 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष किया गया है।

- व. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “न्यास के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य” की कोडिका क्रमांक-24 में सह न्यास प्रतिनिधि के पद को विलुप्त किया गया है।
- श. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “न्यास का बैंक खाते का संचालन ” की कोडिका क्रमांक-29 की उपकोडिका 3 सामान्य एवं दैनिक छोटे व्यायों के लिए 2000/- रुपये तक की राशि को नवीन संशोधन में 50,000/- रुपये तक की राशि अध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर से आहरित की जा सकेगी।
- स. उक्त न्यास के मूल संविधान एवं नियमावली की “विशेष ” की कोडिका क्रमांक-32 में नवीन संशोधन न्यासकर्ता संस्था के अध्यक्ष स्वामी श्री बम महादेव दास जी को न्यास की नियमावली में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

हेमकरण धुर्वे,

अनुबिभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार।

(208)

## अन्य सूचनाएं

### कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, संभाग उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 6 मार्च, 2019

#### कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 ए (1) के अंतर्गत]

प्रति,  
अध्यक्ष/संचालक मंडल,  
सदस्यगण समस्त

क्र.	संस्था का नाम एवं पता	तहसील	संस्था पंजीयन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, शेरगढ़	सीतामऊ	1091/10-9-2014
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, चौथखेड़ी	मल्हारगढ़	1038/9-10-2014
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, कोटडी	मल्हारगढ़	1354/04-06-2015
4.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, ढिकोला	मंदसौर	1145/20-10-2014
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, ढाबलामाधोसिंह	भानपुरा	1291/15-04-2015
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, जमुनिया	सुवासरा	1169/23-12-2014
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सोनी	मल्हारगढ़	1294/16-04-2015
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, पलासिया	दलौदा	1117/20-10-2014
9.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, पायाखेड़ी	सीतामऊ	1342/21-05-2015
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, किलाबावडी	मंदसौर	1310/01-05-2015
11.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सेलावरी	मल्हारगढ़	1248/06-04-2015
12.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, मानपुरा	सीतामऊ	1189/07-01-2015
13.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, नाथूखेड़ी	सुवासरा	1405/16-09-2015
14.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, मानपूरा	सीतामऊ	1286/15-04-2015
15.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, भागीपिपल्या	मल्हारगढ़	1280/13-04-2015
16.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, गंगाखेड़ी	सीतामऊ	1193/15-01-2015
17.	महिला दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, खजूरीचंद्रावत	सीतामऊ	1180/30-12-2014

1	2	3	4
18.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, आकली	मल्हारगढ़	1289/15-04-2015
19.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, प्रतापपुरा	सुवासरा	1373/30-06-2015
20.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सेमली रूपा	शामगढ़	1328/12-05-2015
21.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सेमल्याकाली	मंदसौर	1093/09-10-2014
22.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, खोखरा	मल्हारगढ़	1293/16-04-2015
23.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सोमिया	मल्हारगढ़	1268/09-04-2015
24.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सूरजनी	सीतामऊ	1300/27-04-2015
25.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, केलूखेडी	सीतामऊ	1176/29-12-2014
26.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, धुआखेडी	भानपुरा	1325/11-05-2015
27.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, किरपिल्या	सीतामऊ	1339/21-05-2015
28.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, कुंताखेडी-2	सीतामऊ	1191/8-01-2015
29.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, टोलखेडी	मंदसौर	1251/07-04-2015
30.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सेदरमाता	सीतामऊ	1195/20-01-2015
31.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, चंदवासादेव	मल्हारगढ़	1087/09-10-2014
32.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, लसुडिया राठोर	मल्हारगढ़	1389/11-08-2015
33.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, रेवास देवडा	मंदसौर	1271/13-04-2015
34.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, सेमली	सुवासरा	1366/27-06-2015
35.	महिला दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, डिगाँवखुर्द	मंदसौर	1302/27-04-2015
36.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, दशोरिया	गरोठ	908/27-05-2009
37.	दुर्घ उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, डुंगलावदा	मल्हारगढ़	943/19-01-2011

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक/परि/2019/118/ मंदसौर, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा उपरोक्त सहकारी संस्थायें जिनका पंजीयन क्रमांक उनके नाम के सम्मुख दर्शित है के द्वारा उक्त संस्थाओं का पंजीयन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा (18 ए/क) के अंतर्गत पंजीयन निरस्त की कार्यवाही हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को भेजा गया है।

प्रस्तुत प्रस्ताव में जिस प्रायोजन के लिये उक्त संस्थाओं का पंजीयन किया गया था उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, एवं पंजीयन दिनांक से संस्थायें अकार्यशील (निष्क्रीय) होकर बंद हैं। एवं संस्था के भविष्य में चलने की संभावना क्षीण है। इससे स्पष्ट है की संस्था अपनी उपविधि के प्रावधान अनुसार अंकेक्षण कार्य नहीं करते हुए अकार्यशील है एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधान अनुसार कार्य नहीं कर रही है। जिसके कारण जिस प्रायोजन के लिये संस्था का पंजीयन किया गया है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है।

अतः मैं, बी. एल. मकवाना, संयुक्त आयुक्त सहकारिता, उज्जैन, संभाग उज्जैन, उपायुक्त सहकारिता, जिला मंदसौर द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में उल्लेखित कारणों के आधार पर क्यों न आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाये? इस संबंध में संस्था के संचालक मंडल/सदस्यों को अपना पक्ष मजबूत करने एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 08 अप्रैल, 2019 नियत की जाती है। उक्त नियत दिनांक तक संस्था का संचालक मंडल/ संस्था सदस्य अपना जबाब प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत दिनांक तक अपना जबाब प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रस्तुत जबाब समाधानकारक नहीं पाये जाने पर संस्था का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधि. 1960 की धारा (18 ए/क) के अंतर्गत पंजीयन समाप्त कर दिया जावेगा एवं सहकारी अधिनियम प्रावधान के तहत शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति कर दी जावेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 06 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

बी.एल. मकवाना,  
संयुक्त आयुक्त सहकारिता।

## कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 07 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/361.— आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1378, दिनांक 27 जनवरी, 1995 आदेश क्रमांक/परि. 06, दिनांक 02 जनवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. के. गुप्ता, व.स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जिवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999 पन्ड्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/06, दिनांक 02 जनवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1378, दिनांक 27 जनवरी, 1995 को पुनर्जिवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री गिरिश शर्मा, व.स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(197)

उज्जैन, दिनांक 07 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/362.— जय भगवती साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 03 जुलाई, 2001 आदेश क्रमांक/परि. 581, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री संजय चतुर, स.नि. को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जिवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999 पन्ड्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/581, दिनांक 23 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत जय भगवती साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 03 जुलाई, 2001 को पुनर्जिवित करता हूँ साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री गिरिश शर्मा, व.स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(198)

उज्जैन, दिनांक 07 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/363.— श्री गणेश कृषि उपज वि. म. अनु. प्रक्रिया सह., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1548, दिनांक 29 मार्च, 2001 आदेश क्रमांक/परि. 743, दिनांक 08 मार्च, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जिवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/743, दिनांक 08 मार्च, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत श्री गणेश कृषि उपज वि. म. अनु. प्रक्रिया सह. मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1548, दिनांक 29 मार्च, 2001 को पुनर्जिवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री गिरिश शर्मा, व.स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(199)

उज्जैन, दिनांक 07 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा 69-(2) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/364.— जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 03 जुलाई, 2001 आदेश क्रमांक/परि. 581, दिनांक 25 फरवरी, 2016 से परिसमापन में लाया जाकर श्री व्ही. के. जोशी, उप-अंकेश्वक को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था निर्वाचन नहीं कराया जाना था।

संस्था की आमसभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जिवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की है।

उक्त संबंध में परिसमापक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से सहमत होते हुए सहकारिता के सिद्धातों, संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन संबंधी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जिवित करना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-1999 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वेचित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि/581, दिनांक 25 फरवरी, 2016 को निरस्त कर अधिनियम की धारा-69(4) के अन्तर्गत जय अम्बे साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 03 जुलाई, 2001 को पुनर्जिवित करता हूँ, साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु प्रबंधक समिति के आगामी निर्वाचन होने तक श्री गिरिश शर्मा, व.स.नि. को प्रभारी अधिकारी नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,

उप-पंजीयक।

(200)

### कार्यालय जिला आयुक्त सहकारिता, जिला छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) एवं धारा-53(12) के अंतर्गत]

क्र./उपाछि/परि./2019/299.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपाछि/परिसमापन/1526, दिनांक 05 मई, 2016 के द्वारा दुर्घट उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बड़चिंचोली (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक /डी.आर./785, दिनांक 16 मार्च, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पांडुर्णा द्वारा उक्त सोसायटी को पुनर्जीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 06 सितम्बर, 2018 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पांडुर्णा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्टर की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपाछि/परिसमापन/1526, दिनांक 05 मार्च, 2016 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार अस्थाई प्रबंधकारिणी नामांकित करने को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार हैं:-

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. श्री कैलाश/श्री महाजन | अध्यक्ष   |
| 2. श्री राजेश/योगराज     | उपाध्यक्ष |

3.	श्री भूरा/सोनी मोहबे	उपाध्यक्ष
4.	श्री वासुदेव/गुलाबराव	संचालक
5.	श्री रेवतीबाई/विनायक हजारे	संचालक
6.	श्री दुर्गाबाई/काशीराम बारगे	संचालक
7.	श्री योगराज/सदाशिव डोबले	संचालक
8.	श्री विजय पहाड़े	संचालक
9.	श्री विशाल/बसंता तितरे	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

(202)

छिंदवाड़ा, दिनांक 22 फरवरी, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) एवं धारा-53(12) के अंतर्गत]

क्र./उपाछि/परि.2019/300.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपाछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा श्री पंढरीनाथ बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाड़ेगांव (जिसे आगे सोसायटी कहा गया है) पंजीयन क्रमांक /डी.आर./974, दिनांक 10 जनवरी, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई है। वर्तमान परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पांडुर्णा द्वारा उक्त सोसायटी को पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

सोसायटी के सदस्यों ने दिनांक 05 जून, 2018 को आयोजित विशेष आमसभा में सोसायटी एवं सदस्य हित में सोसायटी को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस आधार पर सोसायटी के परिसमापक श्री पी. के. लाल, सहकारिता विस्तार अधिकारी, पांडुर्णा ने अपने प्रतिवेदन में सोसायटी को पुर्नजीवित करने की अनुशंसा की है।

अतः मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, छिंदवाड़ा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त रजिस्टर की शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत सोसायटी को परिसमापन में लाने एवं परिसमापक की नियुक्ति के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपाछि/परिसमापन/631, दिनांक 23 मार्च, 2015 को निरस्त करता हूँ एवं विशेष आमसभा में लिये गये निर्णय अनुसार अस्थाई प्रबंधकारिणी नामांकित कमेटी को ही निर्वाचन सम्पन्न होने तक नामांकित करता हूँ जो निम्नानुसार हैः—

1.	श्री रामदासजी ढेपे	अध्यक्ष
2.	श्री रेवानंदजी निकाजु	उपाध्यक्ष
3.	श्री गोपालरावजी निकाजु	उपाध्यक्ष
4.	श्री सुखचंद्रजी ढेपे	संचालक
5.	श्री सुनिलजी बनकर	संचालक
6.	श्री नंदकिशोर निकाजु	संचालक
7.	श्री गणपतरावजी निकाजु	संचालक
8.	श्री प्रमोदजी चरपे	संचालक
9.	श्रीमति नर्मदाबाई निकाजु	संचालक

उक्त नामांकित कमेटी तीन माह की अवधि में निर्वाचन करवाकर नवनिर्वाचित कमेटी की सूचना इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करेगी।

यह आदेश आज दिनांक 22 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया।

जी. एस. डेहरिया,  
उप-पंजीयक।

(203)

## कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी, अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत]

क्र./भूविअ/01/परि./0073/2019/96.— कार्यालयीन आदेश क्रमांक/भूविअ/1/परि./0073/2018/355, दिनांक 25 जुलाई, 2018 से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप नीखरा को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया गया था। श्री प्रदीप नीखरा, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल का स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति पर प्रभारी प्रबंधक संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्या., भोपाल के पद पर हो गया है। उनके स्थान पर श्री आर. सी. घिया, अपर आयुक्त, सहकारिता मध्यप्रदेश भोपाल को मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल का परिसमापक नियुक्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 02 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

केदार शर्मा,

पंजीयक।

(204)

## कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 14, 15 फरवरी, 2019

### संशोधित आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की वृष्टि से कालाम क्रमांक 02 में वर्णित संस्थाओं के पूर्व प्रसारित आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए कालाम क्रमांक 04 के नियुक्त परिसमापकों के स्थान पर कालाम क्रमांक 05 अनुसार परिसमापक नियुक्त किया जाता है नव नियुक्त परिसमापक संस्था की नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर दो माह में संस्था का अंतिम प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

क्र	परिसमापनाधिन सहकारी संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमपन आदेश क्र. दिनांक	पूर्व नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम	वर्तमान में नियुक्त किये गये परिसमापक का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	जय दुर्गे उद्घवन सिंचाई सहकारी संस्था मर्या., सेल्डा।	603/03-12-1983	1068/27-08-2016	श्री नवीन मुहावरे, सहकारी निरीक्षक।	श्री एस. एस. रावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक।

यह आदेश आज दिनांक 14 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

राजेश क्षत्री,

उप पंजीयक।

(206)



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 मार्च, 2019-चैत्र 8 शके 1941

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

##### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2018

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में प्रायः आकाश मेघाच्छादित रहा. राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया.

(अ) 0.1 मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक:- तहसील रायपुर बघेलान, रघुराजनगर (सतना), हुजूर, गुढ़, रामपुरकचुलियान (रीवा), गोपदबनास, सिंहावल, चुरहट, बहरी, देवसर में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

(ब) 17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक:- तहसील मनगावां (रीवा) में उक्त मि.मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है।

2. जुताई :- जिला मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, धार, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा व सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

3. बोनी:- जिला मुरैना, दतिया, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मन्दसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार, सीहोर, नरसिंहपुर, मण्डला, डिण्डोरी व छिन्दवाड़ा में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है।

4. फसल स्थिति :-प्रायः राज्य के सभी जिलों में फसल स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. फसल कटाई :- जिला टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, सीधी, सिंगरोली, आगर, खरगौन, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद,, जबलपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा में कटाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है।

6. सिंचाई :-जिला सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, शाजापुर, विदिशा में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

7. पशुओं की स्थिति:-राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है।

8. चारा :- राज्य में प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. बीज:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है।

10. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 अक्टूबर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अमर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कपास समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तुअर, सोयाबीन, उड़द सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, उड़द, तिल, धान, अधिक. मूँफली, मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मूँगफली, सोयाबीन अधिक. उड़द कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा अपर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बद्रवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) उड़द, सोयाबीन अधिक. मक्का, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..				
2. ईसागढ़	..				
3. अशोकनगर	..				
4. चन्द्रेरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढ़ौरा	..				
8. *जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. गुना	..				
2. राघोगढ़	..				
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मक्सूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. जुताई व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार अधिक. धान, मूँगफली, अरहर, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..				
2. पृथ्वीपुर	..				
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बलदेवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..				
2. गौरीहार	..				
3. नौगंव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
5. बिजावर	..				
6. बड़ा मलहरा	..				
7. लवकुशनगर	..				
8. बक्सवाहा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नौर 4. पवई 5. शाहनगर 6. देवेन्द्रनगर 7. अमानगंज 8. सिमरिया 9. रैपुरा	.. .. .. .. .. .. .. .. ..				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, उड्ड, तिल, सोयाबीन, अधिक. ज्वार, मक्का, कोदों, अरहर, मूँग, मूँफली, आलू, प्याज कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़ 12. जैसीनगर	.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई व खरीफ फसल की कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार अधिक. धान, अरहर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	.. .. .. .. .. .. ..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं चना, मसूर, अलसी की बोनी व धान, मूँग, उड्ड, सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, अरहर, सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगवां 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. कोठर 10. बिरसिंहपुर	1.1 .. 6.0 .. .. .. .. .. .. ..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मूँग, उड्ड अधिक. सोयाबीन, ज्वार, तुअर कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्यौंथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. मनगवां 8. सेमरिया 9. जवा 10. नईगढ़ी 11. रायपुरकर्चुलियान	.. .. .. .. 4.3 1.2 19.2 .. .. .. 2.2				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>16. जिला शहडोलः</b> 1. सोहगापुर 2. ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. बुढार 5. गोहपारु 6. जैतपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. जुताई बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, तुअर, उड्ड, तिल, सोयाबीन अधिक. कोदों कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>17. जिला अनूपपुर :</b> 1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	मिलीमीटर .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, उड्ड, तिल, कोदों-कुटकी, तुअर, मूँफली अधिक सोयाबीन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>18. जिला उमरिया :</b> 1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. चंदिया 4. नौरोजाबाद 5. मानपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>19. जिला सीधी :</b> 1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. बहरी 7. रामपुरनैकिन	मिलीमीटर 2.6 13.4 .. .. 3.0 11.2 ..	2. जुताई एवं बोनी व कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>20. जिला सिंगरौली :</b> 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सरई 4. माडा 5. सिंगरौली	मिलीमीटर .. 1.4 .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कटाई कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) राहर अधिक. रामतिल कम. ज्वार, कोदों, धान समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>21. जिला मंदसौर :</b> 1. सुवासरा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर+दलोदा 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़क्का 10. संजीत 11. कथामपुर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) सोया अधिक. मक्का कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>22. जिला नीमच :</b> 1. जावद 2. नीमच 3. सिंगौली 4. जीरन 5. रामपुर 6. मनासा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) मूँगफली अधिक. अरहर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>23. जिला रत्लाम :</b> 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. ताल 6. रावटी 7. पिपलोदा 8. रत्लाम	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) सोयाबीन समान. मक्का, कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>24. जिला उज्जैन :</b> 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>25. जिला आगर :</b> 1. बड़ौद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर .. .. .. ..	2. सोयाबीन की कटाई कार्य चालू है.	3. 4.(1) (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>26. जिला शाजापुर :</b> 1. मोमनबड़ौदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. पोलाय कलां 6. अबंतीपुर बड़ौदिया 7. गुलाना	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) ज्वार, तुअर अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>27. जिला देवास :</b> 1. सोनकच्छ 2. टॉकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. हाटपिपल्या 7. सतवास 8. उदयनगर 9. खातेगांव	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. बोनी कार्य चालू है.	3. 4.(1) मक्का, तुअर, उड्ढ, मूँग, अधिक. ज्वार, सोयाबीन, कपास, तिल, मूँगफली कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>28. जिला झाबुआ :</b> 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. रामा 5. झाबुआ 6. राणापुर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. ..      	3. .. 4. (1) मक्का, ज्वार, उड़द, कपास, सोयाबीन, तुअर समान. (2) ..      	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>29. जिला अलीराजपुर :</b> 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कटटीवाड़ा 4. सोंडवा 5. उदयगढ़ 6. चन्द्रशेखर आ. नगर 7. भामरा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. ..	2. ..      	3. .. 4. (1) मक्का, बाजरा, उड़द, ज्वार, कपास अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..      	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>30. जिला धार :</b> 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2. कटाई चालू है. रबी बोनी चालू है.      	3. .. 4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक. कपास, गन्ना कम. (2) ..      	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
<b>31. जिला इन्दौर :</b> 1. देपालपुर 2. सावंर 3. इन्दौर 4. गौतमपुरा 5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. ..      	3. .. 4. (1) .. (2) ..      	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>32. जिला खरगौन :</b> 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगाव 9. सनावद 10. झिरन्या	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. कटाई कार्य चालू है.      	3. .. 4. (1) धान, मक्का, मूँगफली, कपास, तुअर अधिक. ज्वार कम. (2) ..      	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>33.*जिला बड़वानी :</b> 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सोंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. अंजड 8. बरला 9. निवाली 10. चाचरियी	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..      	3. .. 4. (1) .. (2) ..      	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>34. जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन कम. धान, कपास मक्का, मूँगफली, ज्वार, तुअर. (2) ..	5. पर्याप्त 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पुनासा	..				
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
<b>35. जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार सुधरी हुई. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
<b>36. जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..				
2. जीरापुर	..				
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>37. जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) सोयाबीन, उड्ड समान. धान सुधरी हुई. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
<b>38. जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई व कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, मक्का, धान, चरी, सन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
3. बैरागढ़	..				
<b>39. जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई चालू है.	3. .. 4. (1) ज्वार, तुअर कम. गन्ना समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>40. जिला रायसेन :</b> 1. रायसेन 2. गैरतगंज 3. बेगमगंज 4. गोहरगंज 5. बरेली 6. सिलवानी 7. बाड़ी 8. सुल्तानपुर 9. उदयपुरा	मिलीमीटर	2. ..  3. .. 4. (1) धान, तुअर अधिक. (2) गन्ना कम.	3. .. 4. (1) धान, तुअर अधिक. (2) गन्ना कम.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>41.*जिला बैतूल :</b> 1. बैतूल 2. भैसदेही 3. घोडाडोंगरी 4. शाहपुर 5. चिचोली 6. मुल्ताई 7. आठनेर 8. आमला	मिलीमीटर	2. ..  3. .. 4. (1) .. (2) ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. ... 8. ...
<b>42.जिला होशंगाबाद :</b> 1. होशंगाबाद 2. सिवनी-मालवा 3. बावई 4. इटारसी 5. सोहागपुर 6. पिपरिया 7. बनखेड़ी 8. डोलरिया 9. पचमढ़ी	मिलीमीटर	2. जुताई व धान की कटाई चालू है।	3. .. 4. (1) धान, गन्ना अधिक. तुअर कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>43. जिला हरदा :</b> 1. हरदा 2. खिड़किया 3. सिराली 4. रेहटगांव 5. हॉडिया 6. टिमस्नी	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्द, मूँग, मक्का, धान, अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>44. जिला जबलपुर :</b> 1. जबलपुर 2. कुण्डम 3. सीहोरा 4. पाटन 5. मझौली 6. शाहपुरा 7. पनागर	मिलीमीटर	2. जुताई व उड्द सोयाबीन मूँग की कटाई तथा मक्का की तुड़ाई चालू है।	3. .. 4. (1) धान, मक्का, उड्द अधिक. तुअर, सोयाबीन, मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>45. जिला कटनी :</b> 1. बहोरीबंद 2. ढीमरखेड़ी 3. रीठी 4. बड़वारा 5. मुड़वारा (कटनी) 6. विजयराघवगढ़ 7. बरही	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है।	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तिल, तुअर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>46. जिला नरसिंहपुर :</b> 1. नरसिंहपुर 2. गोटगांव 3. करेली 4. गाडरवारा 5. तेंदूखेड़ा	मिलीमीटर .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) तुअर, धान, गन्ना अधिक सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>47. जिला मण्डला :</b> 1. मण्डला 2. नैनपुर 3. बिछिया 4. निवास 5. नारायणगंज 6. घुघरी	मिलीमीटर .. .. .. .. .. ..	2. ..	3. .. 4. (1) मक्का, धान, कोदों-कुटकी, तुअर, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>48. जिला डिण्डोरी :</b> 1. डिण्डोरी 2. शाहपुरा 3. बजाग	मिलीमीटर .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी व धान की कटाई चालू है।	3. .. 4. (1) धान, उड़द, सोयाबीन, रामतिल, तुअर, कोदों-कुटकी, राई-सरसों समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>49. जिला छिन्दवाड़ा :</b> 1. छिन्दवाड़ा 2. तामिया 3. परासिया 4. जून्नारदेव 5. सासर 6. बिछुआ 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. उमरेठ 10. मोहखेड 11. हर्फ़ि 12. चांद 13. पांदुर्णा	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई एवं बोनी मक्का, धान, सोयाबीन एवं मूँगफली की तुड़ाई चालू है।	3. .. 4. (1) मक्का, धान अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>50. जिला सिवनी :</b> 1. सिवनी 2. बरघाट 3. कुरई 4. केवलारी 5. लखनादान 6. छपारा 7. धनोरा 8. घंसोर	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. ..	2. जुताई व कटाई चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
<b>51. *जिला बालाघाट :</b> 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. किरनपुर 4. बैहर 5. वारासिवनी 6. कटंगी 7. लालबरा 8. तिरोडी 9. पस्सवाड़ा 10. बिरसा 11. खैरलाँजी	मिलीमीटर .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..

\*जिला:- जिला गुना, बड़वानी, बैतूल व बालाघाट से पत्रक अप्राप्त हैं।

आर. पी. भारती,  
संयुक्त आयुक्त,  
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.